संख्या-03/2026/32/005-53-2099-930-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।

2.दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर एवं कानपुर।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 04-02-2026**

विषय:- अनुदान संख्या-16 (जिला योजना-सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अंतिम किश्त की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-425/नियो0/दुग्ध-5/अनु0 मॉग नैबकान्स/2025-26, दिनांक 14 जनवरी, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना) अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 8000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-11/2025/364/001-53-2099-930-2019, दिनांक 20-05-2025 द्वारा रू0 2000.00 लाख, द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-18/2025/541/002-53-2099-930-2019, दिनांक 07-08-2025 द्वारा रू0 2000.00 लाख, तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-21/2025/772/003-53-2099-930-2019, दिनांक 04-11-2025 द्वारा रू0 2000.00 लाख एवं चतुर्थ किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-1/2026/961/004-53-2099-930-2019, दिनांक 08-01-2026 द्वारा रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रश्नगत मद हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष निम्नवत् मद में अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, निराला नगर कानपुर।		
क्र0सं0	मद	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	पी0सी0डी0एफ0 मुख्यालय एवं इकाईयों की देयता	32.60000
2	दुग्ध संघ के मूल कर्मचारियों की देयता	100.00000
3	विद्युत बिल की देयता	86.00000
4	हाउस टैक्स नगर निगम कानपुर (शासकीय देयता)	401.47679

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	जलकर, सीवरकर, जलकर विभाग नगर निगम शासकीय देयता (शासकीय देयता)	470.77071
6	गंगा बैराज पानी के बिल भुगतान (शासकीय देयता)	94.17000
	योग:-	**1185.01750**
	गोरखपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, गोरखपुर।	
क्र0सं0	**मद**	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	दुग्ध मूल्य भुगतान (वर्ष 2022 से 31.08.2025 तक बकाया) एवं दुग्ध संघों का बकाया	332.39250
2	वेतन दुग्ध संघ कर्मचारी (कार्यरत+सेवानिवृत्त कर्मचारी)	214.74000
3	ट्रांसपोर्टर का बकाया	55.68000
4	मै0 मिनी सिक्योरिटी सर्विसेज, गोरखपुर के कार्मिकों का मानदेय	151.50000
5	मै0 स्टीम प्लेसमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट सर्विसेज (मुख्यालय द्वारा नामित फर्म जिनके कार्मिक स्काडा एवं नये प्लान्ट चलाने हेतु श्रामिकों का सप्लायर)	24.00000
6	बिजली बकाया	17.00000
7	अन्य संस्था/पार्टी	11.50000
8	श्री राजेन्द्र कुमार टैंकर	8.17000
	योग:-	**814.98250**
	महायोग:-	**2000.0000**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में रखा नहीं जायेगा एवं पूर्व में स्वीकृत अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा तथा निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(4) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य अन्य किसी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव पर राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों/गाईड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(7) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियत्रंक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है।

(8) दुग्ध आयुक्त/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- 1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व रहेगा।

(13) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(14) दुग्ध आयुक्त द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जायेंगी।

(15) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(16) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(17) अवमुक्त की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी ।

(18) संबंधित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्व स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेंगें।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधनों से वहन करेंगे।

(20) परिव्यय की उपलब्धता दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/उपयोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(22) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों से धनराशि का निर्धारित मदों में उपभोग सुनिश्चित कराते हुए, आगामी वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव के पूर्व इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(24) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बंध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे-बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(25) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- 2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025, दिनांक 05 जनवरी, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) दुग्ध संघों (गोरखपुर एवं कानपुर) द्वारा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए एन0डी0डी0बी0 से किये गये एमओयू0 के क्लाज संख्या-5.7 के अनुसार देयकों के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020400 वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- **E-1-207-X-2025-26**, दिनांक-29 जनवरी, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

भवदीय,

राम सहाय यादव

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-03/2026/32(1)/005-53-2099-930-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।

3- वरिष्ठ आडिट ऑफिसर(ऑडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।

6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।

8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

9- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।

10- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

11- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0, शासन।

12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।

13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम आसरे राम

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।